

>

Title: Need to take appropriate steps to check sale of spurious drugs in the country.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष जी, दवाइयों के बढ़ते हुए दामों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठा रहा हूँ। जीवन-रक्षक दवाएं बनाने वाले जो आईडीपीएल, एचएएल आदि उपक्रम थे, विदेशी दवा कंपनियों के दबाव में आकर आज उनके कारोबार पर भयंकर असर पड़ा है।

MR. SPEAKER: Shri Ganesh Singh, your notice is about spurious drugs. Therefore, kindly stick to that point only.

...(Interruptions)

श्री गणेश सिंह : इनका असर दवाइयों की कीमत पर भयंकर पड़ा है। दवा कंपनियां 1998 तक सरकार के नियंत्रण में थीं, तब दवाइयों के मूल्य नियंत्रण में थे। आज उन्हीं दवाइयों के दाम 500 प्रतिशत से अधिक बढ़ गये हैं। एक ही तरह की दवा के अलग-अलग दाम हैं। डीपीसीओ ने जो दरें निर्धारित की थीं उनका खुला उल्लंघन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नकली दवाइयों के बारे में है।

श्री गणेश सिंह : वही कह रहा हूँ सर। वर्ष 2005 तक 8 प्रतिशत दाम बढ़े थे, जो एवसाइज ड्यूटी के कारण अब बढ़कर 16 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। देश में नकली दवाओं का कारोबार भी भयंकर रूप से चल रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 40 तथा एसोसेम के अनुसार 30 नकली दवाएं बाजार में बिक रही हैं। नकली दवाओं के विरुद्ध कठोर कानून तथा देश में सभी दवा बनाने वाली कंपनियों को एक कानून बनाकर नियंत्रण में लेने की आवश्यकता है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उक्त गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल कारगर उपाय करें।